<u>संख्या:1654/78-1-2023-1099/722/2019</u>

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक:28दिसम्बर, 2023

विषय: CBuD ऐप उपयोग को अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डी0डी0जी0, ब्रॉडबैण्ड मिशन, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0-31/2022/NBM, दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 एवं सचिव, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध0शा0 पत्र सं0-5-1/2023-NBM(156223), दिनाक 16-11-2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि अवस्थापना निर्माण कार्य हेतु सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर उत्खनन किये जाने के दौरान उन स्थानों पर पहले से विद्यमान अवस्थापना एवं यूटिलिटी सम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे आर्थिक क्षति, नागरिकों को असुविधा तथा अन्य हितधारकों को व्यवसायिक हानि होती है। उक्त समस्या से बचाव के लिए उत्खनन करने के लिए संस्था और अवस्थापना/यूटिलिटी सम्पत्तियों के धारक के मध्य समन्वय हेतु "Call Before U Dig" (CBuD) मोबाइल ऐप बनाया गया है, जो उनके बीच सम्पर्क/संवाद प्रदान करता है। इस ऐप को मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस ऐप की विशेषता है कि जैसे ही किसी संस्था द्वारा उत्खनन कार्य का आशय इंगित किया जाता है, अवस्थापना/यूटिलिटी सम्पत्तियों के धारक जिनके सम्पर्क विवरण सम्बन्धित क्षेत्र में मैप किये गये होंगे, उन्हें CBuD मोबाइल ऐप से एस.एम.एस./ई-मेल द्वारा तत्काल इसकी सूचना प्राप्त हो जाती है। अवस्थापना/यूटिलिटी सम्पत्ति धारक के स्थानीय अधिकारी से उत्खनन करने वाली संस्था को सम्पर्क किये जाने की अपेक्षा की जाती है, जिससे कि वे संयुक्त रूप से विद्यमान भूमिगत सम्पत्ति को बिना किसी क्षति के उत्खनन सुनिश्चित कर सकें।

3. अतएव उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्यवाही का अनुपालन समस्त विभागों द्वारा किया जाना अपेक्षित हैं:-

(1) सभी विभागों द्वारा "Call Before U Dig" (CBuD) ऐप का उपयोग तथा राज्य स्तरीय विभागीय एडमिन, राज्य संस्था एडमिन तथा जिला एडमिन बनाये जाने तथा नोडल अधिकारी नामित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(2) सभी उत्खनन/खुदाई एजेंसियों को किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि आरम्भ करने से पूर्व Call Before u Dig (CBuD) ऐप का उपयोग करना अनिवार्य है, अर्थात पूर्व सूचना देना अनिवार्य है।

(3) राज्य मे किसी भी प्रकार की खुदाई के लिए स्वीकृति देते समय सभी विभागों को

अनुमोदन पत्र में इस आशय का उल्लेख करना होगा कि सार्वजनिक स्थानों/सड़कों की खुदाई करने वाली कोई भी एजेंसी राज्य में खुदाई शुरू करने से पहले Call Before U Dig (CBUD) ऐप पर स्थान की सूचना दें।

4. अस्तु, उपरोक्तानुसार समस्त विभागों द्वारा समन्वित कार्यवाही करने से public Infrastructure की आवश्यक क्षति नहीं होगी। अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग/मण्डल/जनपद में अधीनस्थ प्राधिकारियों से उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 27-12-2023 13:28:34
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या-1654(1)/78-1-2023-1099/722/2019, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, सचिव, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. डी0डी0जी0, ब्रॉडबैण्ड मिशन, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. समस्त मण्डलायुक्त।
4. समस्त जिलाधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे भी उपरोक्तानुसार स्थानीय स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5. प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।